

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द  
(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- F04 / 2026 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम / नियम)  
GCMS NO :- 2026 / 20  
दायर दिनांक :- 10.02.2026  
निर्णय दिनांक :- 18.02.2026

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये श्री प्रेम चंद शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगराम उम्र 51 जाति राजपूत निवासी जे.के टायर फेक्ट्री, कांकरोली जिला राजसमंद (विक्रेता) मैसर्स मां आशापुरा एन्डरप्राइजेज, जे.के टायर, फेक्ट्री, कांकरोली जिला राजसमंद। मों. नं. 7073835762
2. उम्मेद सिंह पुत्र श्री बेटन सिंह उम्र 52 जाति राजपूत निवासी जे.के टायर फेक्ट्री, कांकरोली जिला राजसमंद (फर्म मालिक) मैसर्स मां आशापुरा एन्डरप्राइजेज, जे.के टायर, फेक्ट्री, कांकरोली जिला राजसमंद। मों. नं. 7073835762

– विपक्षी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम एवं विनियम 2011

–: निर्णय :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 13.03.2024 व 16.03.2024 के अनुसरण में प्रेम चंद शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर सबस्टैण्डर्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है महेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगराम उम्र 51 जाति राजपूत निवासी जे.के टायर फेक्ट्री, कांकरोली जिला राजसमंद एवं अन्य (विक्रेता) मैसर्स मां आशापुरा एन्डरप्राइजेज, जे.के टायर, फेक्ट्री, कांकरोली जिला राजसमंद पर दिनांक 20.05.2025 को 01.00 पी.एम. वास्ते चेकिंग पहुंचे। उक्त निरीक्षण के समय परिसर में एक स्टील की टंकी में लगभग 10-12 किलोग्राम दही आम जनता के लिये विक्रय हेतु रखे हुए थे। एफ.एस.एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर खाद्य पदार्थ दही 01 किलोग्राम खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रु. 45/- (पैतालिस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, उपस्थित गवाह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये गये।

P.T.O.

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ दही के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5 ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि खरीदशुदा खाद्य पदार्थ दही के 04 नमूना भाग तैयार किये चारों नमूना भागों हेतु 04 लेबल तैयार किये जिन पर विवरण आदि अंकित किया। चिपकाये गये नमूना भागों पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर AI-2393 नियमानुसार चारों नमूना सील्ड पर अंकित कर नमूने की सील्ड भागों को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 06 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 06 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागों को मय फार्म न. 6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द ने पत्र क्रमांक: एफएसएसए/2025/2695 दिनांक 16.06.2025 के साथ खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./378/एक्ट/2025/378 दिनांक 26.05.2025 संलग्न कर विक्रेता व मुझे दी गई जिससे ज्ञात हुआ कि AI-2393 खाद्य पदार्थ दही का नमूना सबस्टैण्डर्ड (Substandard) होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द ने अभियोजन स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार हैं, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थिगण द्वारा जरिए अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो नमूना दिनांक 20.05.2025 को लिया गया, वह दुकान पर रखी एक खुली स्टील की टंकी से लिया गया था। विदित रहे कि खुली अवस्था में रखे दही के मानकों में प्राकृतिक कारणों जैसे तापमान में वृद्धि या नमी के कारण मामूली बदलाव आना वैज्ञानिक रूप से संभव है।



यह मामला 'Unsafe' (असुरक्षित) या 'Misbranded' (भ्रामक) की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि केवल सबस्टैण्डर्ड (Substandard) का पाया गया है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि दही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं था, केवल इसमें फैट या सॉलिड्स की मात्रा निर्धारित मानक से आंशिक कम रही होगी। अप्रार्थी संख्या 01 महेन्द्र सिंह और अप्रार्थी संख्या 02 उम्मेद सिंह का यह प्रथम अपराध है। इससे पूर्व उनके विरुद्ध खाद्य मिलावट या अधिनियम के उल्लंघन का कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं रहा है। विक्रेता एक छोटा व्यवसायी है जो जे.के. टायर फेक्ट्री, कांकरोली के श्रमिक क्षेत्र में एक छोटी दुकान संचालित कर अपनी आजीविका चला रहा है।

अप्रार्थीगण ने जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पूर्ण सहयोग किया और मांगे जाने पर अपनी आईडी, आधार कार्ड और खाद्य अनुज्ञा पत्र (Licence) स्वेच्छा से प्रस्तुत किए विक्रेता ने नमूना लेने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की और मौके पर ही नमूने के एवज में ₹45/- की राशि प्राप्त कर रसीद पर हस्ताक्षर किए।

अप्रार्थीगण की साधारण आर्थिक स्थिति को देखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उक्त दही के सेवन से किसी भी व्यक्ति को कोई शारीरिक नुकसान या जनहानि नहीं हुई है, न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, प्रयोगशाला रिपोर्ट और दोनों पक्षों की बहस का गंभीरता पूर्वक अनुशीलन किया गया। प्रयोगशाला रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि दही के नमूने में मानकों की कमी थी, खाद्य पदार्थ दही सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। अतः अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) खाद्य पदार्थ दही का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः अपराध कारित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विपक्षी है श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगराम उम्र 51 जाति राजपूत निवासी जे.के टायर फेक्ट्री, कांकरोली जिला राजसमंद (विक्रेता) मैसर्स मां आषापुरा एन्डरप्राइजेज, जे.के टायर, फेक्ट्री, कांकरोली जिला राजसमंद पर 7,000/- रूपये ( सात हजार रूपये) एवं उम्मेद सिंह पुत्र श्री बेटन सिंह उम्र 52 जाति राजपूत निवासी जे.के टायर फेक्ट्री, कांकरोली जिला राजसमंद (फर्म मालिक) मैसर्स मां आषापुरा एन्डरप्राइजेज, जे.के टायर, फेक्ट्री, कांकरोली जिला राजसमंद पर 7,000/- रूपये ( सात हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित कि जाती है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करे, विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि "चालान द्वारा आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के राजस्व मद में फ़ैसल दिनांक से एक माह की अवधि में आवश्यक रूप से



जमा करा पावती प्राप्त करें। नियत अवधि में शास्ति राशि जमा न कराने की स्थिति में, अधिनियम की धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार इसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल किया जाएगा एवं जुर्माना जमा होने तक विपक्षी का लाइसेंस निलंबित माना जाएगा।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर, टर्किंत कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय की प्रति संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित है।

नरेश बुनकर  
18/02/2026

( नरेश बुनकर )

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
राजसमन्द